# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 1472/2025 जवानी बनाम सरकार<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26/05/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई \| अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित \| रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित \| अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी \| संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये \| तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रजि. एडी रसीद व ट्रेक रिपोर्ट पेश किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 11 की तामील पूर्ण होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 11 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने पर दिनांक 28/07/2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07/08/2025 पारित करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष में साबित नही होना जाहिर करते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया \| जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी \| जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी \|<br><br>अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया \| उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करनें में विधिक त्रुटी कारित की गयी है \| इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों से यह जाहिर होता है कि मूल प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य-सबूत के आधार पर विधिक प्रक्रियाओ के अनुसार होना अभी शेष है, ऐसी स्थिति में यदि प्रश्नगत भूमि के मौके पर कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा कब्जे पर काबिज होने की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होना सम्भव है \| दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य प्रथमदृष्टया साबित भी किया है कि प्रशनगत भूमि के मौके पर परिवर्तन कर अपीलार्थी को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है \| ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि की मौके की यथास्थिति का कायम रखा जाना प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है \| इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा अ सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में साबित होते है \|<br><br>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जयपुर | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | जवाना बनाम सरकार<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1472/2025 | |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/08/2025 निरस्त किया जाकर ता-फैसला मूल प्रकरण ग्राम बुगालिया, पटवार हल्का बिचपड़ी तहसील जालसू, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148 कुल किता 7 कुल रकबा 4.3500 हैक्टेयर की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 26/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर